न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 215 / 2019

यूको बैंक,
शाखाः– स्टेशन रोड, अजमेर (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

(1) मैसर्स श्री पार्वती गृह लद्यु उद्योग
प्रोपराईटर श्री दीपक कुमार बंसल पुत्र श्री सत्य नारायण बंसल
(2) श्रीमती पार्वती देवी पत्नि श्री सत्य नारायण
पताः– 23 / 444, लाल कोठी के पीछे, चटाई मोहल्ला, केसरगंज, अजमेर।

.....अप्रार्थीगण (ऋणी)

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री संदीप गोयल अधिकृत प्रतिनिधि

आदेश दिनांक 11.12.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण मैसर्स श्री पार्वती गृह लद्यु उद्योग एवं श्रीमती पार्वती देवी पत्नि श्री सत्य नारायण निवासीः– 23 / 44, लाल कोठी के पीछे, चटाई मोहल्ला, केसरगंज, अजमेर को दिनांक 07.12.2012 को रू 10,00,000 / – (अक्षरे दस लाख रूपये) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण / ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर वार्ड नं0 1 एवं 5, जयपुर रोड, मदनगंज, किशनगढ, जिला अजमेर स्थित सम्पत्ति, क्षैत्रफल 213.10 वर्गगज, जो श्रीमती पार्वती देवी पत्नि श्री सत्य नारायण बंसल के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएंः–पूर्व :–श्री सुवा पुत्र श्री गंगाराम का मकान, पश्चिमः– आम रास्ता, उत्तरः– ऊदाजी अहिर का कुआ, दक्षिणः–श्री बंशीलाल बलाई का मकान, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 30.06.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण / ऋणी को दिनांक 31.07.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये 6,42,659.50 / –(अक्षरे छः लाख बयालीस हजार छः सौ उनसठ एवं पैसे पचास मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी को सुना गया। अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पति वार्ड नं0 1 एवं 5, जयपुर रोड, मदनगंज, किशनगढ, जिला अजमेर स्थित सम्पत्ति, क्षैत्रफल 213.10 वर्गगज, जो श्रीमती पार्वती देवी पत्नि श्री सत्य नारायण बंसल के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएं:–पूर्व :–श्री सुवा पुत्र श्री गंगाराम का मकान, पश्चिमः– आम रास्ता, उत्तरः– ऊदाजी अहिर का कुआ, दक्षिणः–श्री बंशीलाल बलाई का मकान, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 11.12.2019 को सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner